A.B.P. no. - 254/2026
Raghunath Kharwar and another Vs State

न्यायालय, प्रभार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 254/ 2026

रघुनाथ खरवार और अन्य

बनाम्

बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से – श्री संतोष कुमार सिन्हा, (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से – श्री केदार नाथ तिवारी, (विद्वान लोक अभियोजक)

26.03.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रघुनाथ खरवार पिता– बच्चालाल खरवार 2. प्रभुनाथ खरवार पिता– बच्च ालाल खरवार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन डुमरांव थाना कांड संख्या 367/2023, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 को परिचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना।

2. प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.09.2023 को समय लगभग 10 बजे रात्रि में सूचक अपने घर से खाना खाकर अपने जन वितरण प्रणाली के गोदाम पर सोने जा रहा था तथा उसके दोनों पुत्र टार्च से पहुंचाने जा रहे थे, इसी बीच सूचक वगैरह परशुराम चौबे जी के हाता के पास पहुंचे तो बच्चालाल खरवार हाथ में डंडा लिए हुए थे और बोल रहे थे मारो साले आ गया तब तक रघुनाथ खरवार हाथ में तेज धार वाला रामा से वार कर दिये, जिससे उनके सर पर लगा और वे गिर गये, विश्वनाथ खरवार बंदुक के बट से उसके सर पर मारे और उसके गले से सोने का चैन नोंच लिये। प्रभुनाथ खरवार फरसा सूचक के दोनों लड़के पर चलाये जिससे उनका सर फट गया। गणेश खरवार, करन खरवार एवं सह–अभियुक्त सूचक एवं उनके लड़के को मार कर जख्मी कर दिये। सभी अभियुक्त उन्हें धमकी, गाली देते हुए भाग रहे थे। घर के सदस्य एवं कुछ ग्रामीणों के सहयोग से जख्मियों को अनुमंडल अस्पताल, डुमरांव ले गये और वहां से सदर अस्पताल बक्सर रेफर कर दिया जहां से वे बनारस वरसोवा अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसा स्थिति में सूचक वगैरह अपने थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं करा पायें।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण का इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न माननीय उच्च न्यायालय पटना में न कही दाखिल किया है न कहीं लंबित है। आवेदक निर्दोष है तथा जान बूझकर झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वाद का पलटा मुकदमा डुमरांव थाना कांड संख्या 360/2023 सूचक एवं उनके परिवार के विरूद्ध दाखिल किया गया है। सूचक गांव के धनी मनी व्यक्ति है। पैसा के बल पर झूठा मुकदमा आवेदकगण के खिलाफ दाखिल किया गया है। इसलिए आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर सूचक को रामा और फरसा से मारकर जख्मी करने का आरोप है। कांड दैनिकी में सूचक/जख्मी का जख्म प्रतिवेदन है जिसमें उन्हें सामान्य प्रकृति की चोटें कारित हुई है जो प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों से मेल नहीं खाती है। प्राथमिकी भी काफी विंलब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्ट कारण सूचक द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त वाद का पलटा मुकदमा डुमरांव थाना कांड संख्या 360/2023 सूचक एवं उनके परिवार के विरूद्ध दाखिल किया गया है। सह–अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कि0 मि0 संख्या 80767/2023 में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है।

उक्त तथ्यों विवेचना तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण रघुनाथ खरवार एवं प्रभुनाथ खरवार को आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर आत्मसमर्पण/गिरफतारी की स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन 10000 (दस हजार) X 2 बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू (जिसमें एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होंगे) दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अंडरटेंकिग देंगे एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

(अनुपम कुमारी)
प्रभार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।
दिनांक–26.03.2026

A.B.P. no. - 254/2026
Raghunath Kharwar and another Vs State

ज्ञापांक– दि0–

पारित आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ..... को भेजा जाता है।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर